न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—66/2017(जीसीएमएस नं. 2017/00191)

1. वीरेन्द्र पुत्र श्री प्रहलाद उम्र 53 साल, जाति अहीर, निवासी ग्राम मांढण, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।
2. प्रिंसीपल राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मांढण, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री राधेश्याम यादव, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 26.10.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के पीछे से बाला—बाला अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस जारी किये एवं बिना जवाब देही का अवसर प्रदान किये एवं बिना सुने पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित अधीनस्थ न्यायलय के आदेश दिनांक 30.12.2016 के अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई जानकारी आरम्भ से ही नही रही है लेकिन अपीलार्थी के द्वारा गांव में लोगों से सुना गया कि अपीलार्थी के प्लॉट में से कोई रास्ता निकाला गया है। उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 13.02.2017 को अपीलार्थी को हुई तो उसी दिन अपीलॉर्थी पटवारी हल्का मांढण से सर्म्पक अपनी खतोदारी की आराजी खसरा नमबर 1451 जिसमें अपीलार्थी के मकान एवं चारदीवारी बनी हुई है, का खाता देखने पर पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के उक्त खाते में रास्ता का अंकन करने हेतु नामान्तरकरण संख्या 1407 खोला जाकर स्वीकृत किया जा चुका है। जिस पर अविलम्ब उसी दिन अपीलार्थी ने पटवारी हल्का से जमाबन्दी नकल, नामान्तरकरण संख्या 1407 एवं नकल नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्राप्त कर अपने वकील को दिखाया जो नामान्तरकरण संख्या 1407 के कॉलम संख्या 14 में दर्ज प्रविष्ठि को पढ़कर अपीलार्थी को वकील ने बताया कि रास्ता घोषित कर उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। जो नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 के आधार पर हुआ है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को कहा गया लेकिन अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश

P.T.O.

की प्रमाणित प्रतिलिपि नही देने पर दिनांक 14.02.2017 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर अलवर को भी अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजा जो प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्राप्त नही हुई। लेकिन अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि के लिये आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08.03.2017 को प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन करने पर अपीलार्थी को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अपील हेतु आवश्यक खर्चे का इन्तजाम किया और दिनांक 11, 12, 13 मार्च 2017 को राजकीय अवकाश रहा तत्पश्चात् अपील तैयार करवाकर बिना किसी देरी के जानकारी के दिनांक से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अन्दर अवधि के पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हे कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाया तथा ना ही अपीलार्थी को कोई नोटिस भेजे गये, ना ही अपीलार्थी को सुना गया ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी अलग से पेश किया गया जो स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील में कुछ शाब्दिक त्रुटियॉ टंकण की लिपिकीय भूल से हो गयी है जिन्हे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। इसके लिये अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–6 नियम–17 सपठित धारा 151 भी पेश किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है अपीलाधीन आदेश के टाईटल में दर्ज पक्षकार रामकुमार, रघुवीर दोनों ही फौत हो चुके थे, ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचराधीन प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरा नम्बर 1438, 1452 वाके ग्राम मांढण दोनों ही राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विधालय मांढण ने इन दोनों खसरा नम्बरान के खातेदारान से माह अप्रेल 1993 में जरिये इकरारनामा तबादला में प्राप्त करके उनके बदले में विधालय के खेल मैदान की भूमि काश्तकारान को दी हुई है। इसलिये उक्त खसरा नम्बर 1438, 1452 मौके पर विधालय भूमि होने के कारण विधालय के कब्जे में है लेकिन फिर भी तहसीलदार नीमराना द्वारा विधालय को पक्षकार मुकदमा तक नही बनाया गया जबकि मौके पर जो नया रास्ता कायम किये गया है, वहॉ तक विधालय की चारदीवारी खसरा नम्बर 1452 में बनी हुई है जो अधीनस्थ न्यायालय में परिशिष्ठ ''ब'' में दर्शित नये रास्ते के तरफ उत्तर में दर्शित स्थान है फिर भी तहसीलदार द्वारा विधालय का मौके पर कब्जा व उपयोग

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपभोग खेल मैदान होते हुऐ भी, और इतना ही नही खसरा नम्बर 1452 की जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरी में भी खेल मैदान की प्रविष्ठि दर्ज होते हुये विधालय के प्रमुख को अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 1451, 1452 दोनों मौके पर आबादी है तथा खसरा नम्बर 1452 की खसरा गिरदावरी में भी आबादी तथा खेल मैदान दर्ज है। इसलिये भी खसरा नम्बर 1452 आबादी में कोई रास्ता घोषित करने का राजस्थान सरकार अथवा अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार हांसिल नही है। जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था तथा आबादी भूमि मौके पर होने से ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना था जिसको पक्षकार मुकदमा नही बनाकर एवं मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर एवं जिनको पक्षकार मुकदमा नही बनाना चाहिये था ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र में पक्षकारों के असंयोजन एवं संयोजन का दोष होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण भी अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 39/16 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र आदेश–6 नियम–17 स्वीकार किये जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन पर यह भी जाहिर होता है कि भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1438 एवं 1452 राजस्व रिकार्ड रामकुमार, रघुवीर के नाम दर्ज है जिनमें से रामकुमार पुत्र हुलड़राम का दिनांक 05.08.2007 को एवं रघुवीर सिंह पुत्र हुलड़राम का दिनांक 26.10.2013 को देहान्त हो चुका है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 को पारित किया गया है, जो आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध एवं उनके वारिसान एवं आराजी खसरा नम्बर 1451 के संयुक्त खातेदार अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये ही एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलार्थी के पडौसी खातेदारान की भूमि पर पहुँच रास्ता पूर्व से ही

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मौजूद होने के बावजूद पडौसी खातेदारान को लॉभ पहुँचाने की गरज से एक नया रास्ता कायम किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 पारित किया गया है। जो विधि सम्मत नही है तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 को निरस्त किया जाता है तथा भूमि विवादग्रस्त की अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति बहाल की जाती है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर